वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर

(जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

नाव क्रय हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त निदेश के आलोक में संभावित बाढ़ 2017 प्रभावित/विस्थापित परिवारों को यातायात हेतु सुविधा मुहैया कराने के लिए नाव के कय हेतु निबंधित आपूर्तिकर्त्ताओं/फर्मों से सीलबंद निविदा प्राप्त करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय निविदा आमंत्रित की जाती है, जो अलग-अलग लिफाफे में होगी।

निविदादाताओं को जिला पदाधिकारी, वैशाली के पदनाम से 50,000.00/- (पचास हजार) रूपये की जमानत राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 10.07.2017 को अपराह्न 1.00 बजे तक होगा। प्राप्त निविदायें उसी दिन संध्या 3.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा, जिसमें स्वयं निविदादाता या उसके प्रतिनिधि रह सकते है।

सामग्री का विवरण

क0	सामाग्री की नाम	साईज	विशिष्टताएँ	दर
1	छोटे आकार की नाव	20´ x 6´x 2´	70% जामुन एवं 30% सखुआ लकड़ी से तैयार	प्रति नाव (आपूर्ति स्थल तक पहुँचाकर)
2	मध्यम आकार की नाव	25´ x 7´x 2´	70% जामुन एवं 30% सखुआ लकड़ी से तैयार	प्रति नाव (आपूर्ति स्थल तक पहुँचाकर)
3	बड़े आकार का नाव	45´ x 12´ x 3´6´´	70% जामुन एवं 30% सखुआ लकड़ी से तैयार	प्रति नाव (आपूर्ति स्थल तक पहुँचाकर)

तकनीकी निविदा की आवश्यक शर्तें:-

1. निविदा के साथ अद्यतन आयकर रिटर्न प्रमाण-पत्र, वाणिज्य-कर निबंधन प्रमाण-पत्र, पैन नम्बर, बैंक ड्राफ्ट, कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र, काली सूची में नहीं होने का शपथ-पत्र एवं विगत वर्ष का 50 लाख (पचास लाख) का टर्नओवर प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

वित्तीय निविदाः -

1. सीलबंद लिफाफे में सामाग्री विशिष्टताओं के साथ सभी करों सहित उसका न्यूनतम दर अंकित किया जायेगा।

निविदा की अन्य शर्तें:-

1. नाव की आपूर्ति हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
2. राशि का भुगतान सभी अनुमान्य करों के कटौती के पश्चात् किया जायेगा।
3. विभाग से आवंटन प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जाएगा। अपरिहार्य कारण से भुगतान में विलम्ब होने पर किसी भी प्रकार की सूद की राशि देय नहीं होगा।
4. स्वीकृत निविदाकत्ता को आकस्मिक / आपात स्थिति में अल्पकालीन सूचना पर अधियाचित सामग्री की आपूत्ति 24 घंटे के अन्दर निर्धारित दर पर एवं समान गुणवत्ता के अनुसार करनी होगी। निविदादाता के द्वारा ससमय नाव नहीं आपूर्ति किए जाने की स्थिति में आवश्यकता के मद्देनजर अन्य निविदाकर्त्ताओं से अनुमोदित दर पर क्रय की जा सकती है या द्वितीय नं0 के विडर के क्रय किया जा सकता है।
5. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष निविदादाता की जमानत राशि शीघ्र ही वापस कर दी जायेगी।
6. सामग्री की आपूर्ति वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर एवं जिले के संबंधित अंचल तक की जायेगी, जिसका परिवहन शुल्क अलग से देय नहीं होगा।
7. बिना कारण बताए निविदा रद्द करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
8. जिस आपूर्तिकर्त्ता का उपरोक्त सभी शर्ते स्वीकार हो वैसे आपूतिकर्त्ता निविदा में भाग ले सकते हैं।
9. विस्तृत जानकारी वैशाली जिला के आधिकारिक वेवसाईट vaishali.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

जिला पदाधिकारी,
वैशाली।